



केन्द्रीय भण्डारण निगम

CENTRAL WAREHOUSING CORPORATION

(A Govt. of India Undertaking) जन-जन के लिए भण्डारण/Warehousing for Everyone



सं : केभनि/बीएंडसी/एजीएम/2024

दिनांक : 27 अगस्त, 2024

सूचना

भंडारण निगम अधिनियम, 1962 की धारा 13 (1) के साथ पठित केन्द्रीय भंडारण निगम (सामान्य) विनियम, 1965 के विनियम 20 के अनुसरण में, एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि केन्द्रीय भंडारण निगम के अंशधारियों की 62वीं वार्षिक साधारण बैठक (एजीएम) दिनांक 28.09.2024 को सुबह 11.00 बजे, सिरी फोर्ट ऑडिटोरियम के ऑडिटोरियम-III, अगस्त क्रांति मार्ग, सिरी इंस्टीट्यूशनल एरिया, नई दिल्ली में आयोजित की जाएगी, जिसमे निम्नलिखित कार्य संपादित किए जाएंगे:

- 1. वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए निगम के वित्तीय विवरणों तथा इन पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट सहित वर्ष 2023-24 के दौरान निगम के कामकाज पर निदेशक मण्डल की रिपोर्ट पर चर्चा तथा इनका अंगीकरण।
- 2. वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु अन्तरिम लाभांश के भुगतान की पुष्टि एवं अंतिम लाभांश घोषित करना।
- 3. निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग (दीपम), वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापन संख्या 5/2/2016-नीति, दिनांक 27 मई, 2016 द्वारा जारी सीपीएसई के पूंजी पुनर्गठन पर दिशा-निर्देशों पर निगम के अनुपालन नोट का अनुमोदन करना।
- 4. अध्यक्ष की अनुमित से अन्य कोई विषय।

नोट

क) कोई भी अंशधारी या प्रॉक्सी धारक निगम की वार्षिक साधारण बैठक में तब तक भाग नहीं लेगा या मतदान नहीं करेगा, जब तक कि उसे विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त करने के लिए विधिवत प्रमाणित संकल्प की प्रति, अंशधारण संस्था के प्रमाणित अधिकारी की मुहर के तहत हस्ताक्षरित न हों एवं निर्धारित प्रपत्र में प्रॉक्सी-1 फॉर्म (मूल रूप में और होलोग्राम सिहत) डाक/कूरियर के माध्यम से निगम के निगमित कार्यालय यथा 4/1, सिरी इंस्टीट्यूशनल एरिया, अगस्त क्रांति मार्ग, हौज़ खास, नई दिल्ली-110016 में 23 सितंबर 2024 को 17:00 बजे तक या उससे पूर्व जमा न कराया जाए। सूचना की तारीख यथा दिनांक 27 अगस्त 2024 से पहले जारी और दिनांक 23 सितंबर 2024 के बाद पहुँचने वाले प्रॉक्सी/संकल्प को स्वीकार नहीं किया जाएगा (केन्द्रीय भंडारण निगम (सामान्य) विनियम, 1965 के विनियम 31 और 32)।

निगमितका. : 4/1, सीरीइंस्टीट्यूशनलएरिया,अगस्तक्रांतिमार्ग, हौज़खास,नईदिल्ली-110016

C.O: 4/1, Siri Institutional Area, August KrantiMarg, HauzKhas, New Delhi-110016 \$\mathbb{C}\$011-26566107

336/257 ई-मेलः secycwc@cewacor.nic.in





केन्द्रीय भण्डारण निगम

CENTRAL WAREHOUSING CORPORATION

(A Govt. of India Undertaking)





- ख) प्रॉक्सी धारक अपना मूल फोटो आईडी प्रूफ (मतदाता पहचान पत्र/आधार कार्ड/ड्राइविंग लाइसेंस आदि) के साथ आईडी प्रूफ की फोटो कॉपी और मूल-2 प्रॉक्सी फॉर्म लाएँगे जिसमे सभी कॉलम भरे हुए हों तथा अंशधारी संस्थानो द्वारा हस्ताक्षरित और मुहर लगी हुई हो जिस पर उसका नाम उल्लिखित हो अन्यथा उसे वार्षिक साधारण बैठक में भाग लेने की अनुमित नहीं दी जाएगी।
- ग) निगम का अंश रजिस्टर 30 अगस्त, 2024 से 28 सितंबर, 2024 तक 30 दिनो के लिए बंद रहेगा (वेयरहाऊसिंग कार्पोरेशन नियम, 1963 का नियम 21)।
- घ) नियमानुसार, दिनांक 28.09.2024 को 11.00 बजे आयोजित होने वाली केन्द्रीय भंडारण निगम के अंशधारियों की वार्षिक साधारण बैठक में भाग लेने वाले अंशधारी संस्थानों के प्रतिनिधियों को टीए/डीए के भुगतान का कोई प्रावधान नहीं है।

भवदीया

(जैस्सी जेकब)

सचिव





केन्द्रीय भण्डारण निगम (भारत सरकार का उपक्रम)

CENTRAL WAREHOUSING CORPORATION

(A Govt. of India Undertaking) जन-जन के लिए भण्डारण/Warehousing for Everyone



No. CWC/B&C/AGM/2024

Dated: 27th August, 2024

NOTICE

Pursuant to Section 13(1) of the Warehousing Corporations Act, 1962 read with Regulation 20 of the Central Warehousing Corporation (General) Regulations, 1965, notice is hereby given that the 62nd Annual General Meeting (AGM) of the shareholders of Central Warehousing Corporation will be held at Auditorium-III of Siri Fort Auditorium, August Kranti Marg, Siri Institutional Area, New Delhi at 11.00 AM on 28.09.2024 to transact the following business:

- To discuss and adopt the Financial Statements of the Corporation for the Financial Year 2023-24 and Auditor's Report thereon, together with the Report of the Board of Directors on the working of the Corporation during the year 2023-24.
- 2. To confirm payment of interim dividend and declare final dividend for the Financial Year 2023-24.
- 3. To approve the Compliance Note of the Corporation for FY 2023-24, on the guidelines on capital restructuring of CPSEs issued by the Department of Investment and Public Asset Management (DIPAM), Ministry of Finance, Government of India vide OM No. 5/2/2016-Policy dated 27th May, 2016.
- 4. Any other matter with the permission of the Chair.

Note

a) No shareholder or proxy holder shall attend or vote at Annual General Meeting of the Corporation unless a copy of the duly certified resolution, appointing him as a duly authorised representative, signed under the seal of the certifying officer of the Shareholding Institution and the **Form Proxy-1** (in Original and having hologram) in the prescribed form is submitted through Post / Courier so as to reach the Head Office of the Corporation, i.e. 4/1 Siri Institutional Area, August Kranti Marg, Hauz Khas, New Delhi- 110016, on or before 1700 hours of 23rd September, 2024. As such the Proxy/ Resolution reaching after 23rd September, 2024 and prior to the date of notice i.e. 27th August, 2024 will not be accepted. (Regulation 31 & 32 of the CWC (General) Regulations, 1965).

निगमितका.: 4/1, सीरीइंस्टीट्यूशनलएरिया,अगस्तक्रांतिमार्ग, हौजखास,नईदिल्ली-110016





केन्द्रीय भण्डारण निगम (भारत सरकार का उपक्रम)

CENTRAL WAREHOUSING CORPORATION





- b) Proxy holder will bring his/her original photo ID proof (Voter ID Card/Aadhar Card/Driving License etc.) alongwith photo copy of ID proof and the original-2 proxy form having all columns filled, signed and stamped by shareholding institution, on which his/her name is mentioned, otherwise he/she may not be allowed to attend the Annual General Meeting.
- c) The Share Register of the Corporation shall remain closed for 30 days from 30th August, 2024 to 28th September, 2024 (Rule 21 of the Warehousing Corporation Rules, 1963).
- d) As per Rules, there is no provision for payment of TA/DA to the representative of the shareholding institutions, who may attend the Annual General Meeting of the Shareholders of the Central Warehousing Corporation scheduled to be held on 28th September, 2024 at 11:00 hours.

Yours truly

(Jessy Jacob)

Secretary



केन्द्रीय भण्डारण निगम (भारत सरकार का उपक्रम)

CENTRAL WAREHOUSING CORPORATION (A Government of India Undertaking)

केन्द्रीय भण्डारण निगम के अधिनियम, नियम एवं सामान्य विनियमों के संगत प्रावधान

CENTRAL WAREHOUSING CORPORATION'S

RELEVANT PROVISIONS OF

THE ACT, RULES & GENERAL REGULATIONS

4/1, सीरी इंस्टीच्यूशनल एरिया, अगस्त क्रांति मार्ग, हौज खास, नई दिल्ली – 110016 4/1, SIRI INSTITUTIONAL AREA, AUGUST KRANTI MARG, HAUZ KHAS, NEW DELHI – 110 016

RELEVANT PROVISIONS OF THE ACT RULES & GENERAL REGULATIONS:

MEETING OF THE CORPORATION

SECTION 13 OF ACT

- (1) The annual general meeting of the Central Warehousing Corporation (hereinafter referred to as the annual general meeting) shall be held every year 'either at its head office or at any other office of the Corporation within six months of the close of the financial year, and any other general meeting may be convened by the Board of Directors at any other time.
- (2) The shareholders present at the annual general meeting shall be entitled to discuss the annual accounts, the report of the board of directors on the working of the Corporation during the year under report, as well as the auditor's report on the annual balance-sheet and accounts.

X X X X X

REGULATION 21

Business at Annual General Meeting:

- (1) At the annual general meeting the following business may be transacted namely:
 - (a) Business specified in sub-section (2) of section 13.
 - (b) The election, if any, of directors.
 - (c) Such other business of which not less than five weeks' notice is given in the form of a definite resolution by not less than ten shareholders qualified to vote at such meeting.
- (2) Any resolution given notice of under clause (c) of sub-regulation (1) shall be included in the notice of the meeting and shall be put at the meeting.
- (3) No other business shall be transacted or discussed except with the consent of the Chairman.

X X X X

अधिनियम एवं सामान्य विनियमों के संगत प्रावधान

निगम की बैठक

अधिनियम की धारा 13

- (1) केन्द्रीय भंडारण् निगम की वार्षिक साधारण बैठक (जिसे आगे वार्षिक साधारण बैठक कहा गया है) प्रत्येक वित्त वर्ष की समाप्ति के छह महीने के अंदर निगम के प्रधान कार्यालय अथवा निगम के किसी अन्य कार्यालय में होगी और अन्य कोई साधारण बैठक निदेशक मंडल द्वारा किसी अन्य समय पर बुलाई जा सकती है।
- (2) वार्षिक साधाण बैठक में उपस्थित अंशधारियों को आलोच्य वर्ष के निगम के वार्षिक लेखों, निगम की कार्यप्रणाली पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट तथा वार्षिक तुलन—पत्र और लेखों पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर विचार—विमर्श करने का अधिकार होगा ।

X X X

विनियम 21

वार्षिक साधारण बैठक के कार्य

- (1) वार्षिक साधारण बैठक में निम्नलिखित कार्य संपादित किए जा सकेंगे अर्थात्
 - (क) वे कार्य जो कि धारा 13 की उपधारा (2) में विर्निदिष्ट हैं
 - (ख) निदेशकों का चुनाव, यदि कोई है
 - (ग) ऐसे कोई कार्य, जिसके लिए बैठक में मत देने के पात्र कम से कम दस अंशधारियों द्वारा निश्चित संकल्प के रूप में कम से कम पांच सप्ताह पूर्व नोटिस दिया गया हो ।
- (2) उप नियम (1) के खंड (ग) के अधीन दिए गए किसी संकल्प की सूचना को बैठक की सूचना में शामिल किया जाएगा और बैठक में प्रस्तुत किया जाएगा ।
- (3) अध्यक्ष की अनुमित के बिना कोई अन्य कार्य न तो संपादित किए जाएंगे और न ही उन पर चर्चा की जाएगी ।

QUORUM AT A MEETING:

(1) No business shall be transacted at any general or special meeting of the shareholders unless a quorum of fifteen persons, being shareholders entitled to vote at such meeting in person or by proxy or by a duly authorised representative, is present at the commencement of such meeting and if within thirty minutes from the time appointed for the meeting a quorum is not present, the meeting shall stand adjourned to the same day in the following week at the same time and place, or to such other day and at such other time and place as the Chairman of the meeting may determine and if it at such adjourned meeting a quorum is not present, the shareholders who are present shall form a quorum:

Provided that no annual general meeting shall be adjourned to a date later than six months of the close of the financial year

(2) No business shall be transacted at any separate meeting of different classes of shareholders mentioned in clauses (d), (e) and (f) of sub-section (1) of section 7 convened under regulation 24, unless a quorum of 5, 15 and 4 persons respectively, being shareholders entitled to vote at such meeting in person or by proxy or by a duly authorised representative, is present at the commencement of such meeting and if within thirty minutes from the time appointed for the meeting a quorum is not present, the meeting shall stand adjourned to such other day and at such other time and place as the Chairman may determine and if at such adjourned meeting a quorum is not present the shareholders who are present shall form a quorum

REGULATION 26

CHAIRMAN OF A MEETING:

- (1) The Chairman or in his absence a director (other than the managing director) elected by the persons present at the meeting and entitled to vote there at shall be the Chairman of the meeting.
- (2) The Chairman of a meeting shall regulate the procedure thereat and in particular shall have full power to decide the order in which shareholders can address the meeting, to fix time limit for speeches, to apply the closure, when in his opinion any matter has been sufficiently discussed, and to adjourn the meeting.

बैठक का कोरम

(1) बैठक शुरू होने के समय स्वयं वोट देने वाले पात्र अंशधारियों या परोक्षी द्वारा या अधिकृत प्रतिनिधियों का 15 उपस्थित व्यक्तियों का कोरम पूरा न होने तक किसी सामान्य अथवा विशेष बैठक में कोई भी कार्यवाही सम्पन्न नहीं होगी । यदि निश्चित समय के 30 मिनट के अन्दर कोरम पूरा नहीं होता तो बैठक अगले सप्ताह के उसी दिन, उसी समय उसी स्थान, या ऐसे दिन, समय व स्थान के लिए जिसे अध्यक्ष निश्चित करें स्थिगत समझी जाएगी तथा यदि स्थिगत की गई बैठक में कोरम पूरा नहीं होता तो जो अंशधारी बैठक में उपस्थित होंगे, उनके द्वारा कोरम बना लिया जाएगा ।

परन्तु कोई भी वार्षिक साधारण बैठक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के छह माह से अधिक स्थिगत नहीं की जाएगी।

(2) विनियम 24 के अधीन धारा (7) की उप धारा (1) के खण्ड (घ) (ड) और (च) में उल्लिखित विभिन्न वर्गों के अंशधारियों की अलग से बुलाई गई बैठक में कोई भी कार्यवाही सम्पन्न नहीं हो सकेगी जब तक ऐसी बैठक के प्रारम्भ में स्वयं वोट देने वाले, परोक्षी द्वारा अथवा अधिकृत प्रतिनिधियों का कोरम कमशः 5, 15 और 4 व्यक्ति न हों यदि बैठक प्रारम्भ होने के समय से 30 मिनट के अन्दर कोरम पूरा न हो तो बैठक किसी ऐसे दिन समय और स्थान के लिए जैसा अध्यक्ष निश्चित करें, स्थगित समझी जाएगी। यदि स्थगित बैठक में कोरम पूरा नहीं होता तो बैठक में उपस्थित अंशधारियों द्वारा कोरम बना लिया जाएगा।

विनियम 26

बैठक का अध्यक्ष

- (।) अध्यक्ष अथवा उसकी अनुपस्थिति में निदेशक (प्रबन्ध निदेशक के अलावा) जिसे बैठक में उपस्थित एवं वोट देने के लिए प्राधिकृत व्यक्तियों, द्वारा चुना गया हो, बैठक का अध्यक्ष होगा।
- (2) बैठक का अध्यक्ष बैठक की कार्यविधि को नियंत्रित करेगा और विशेषतया अंशधारियों द्वारा बैठक को संबोधित करने के कम,भाषणों के लिए समय—सीमा निर्धारित करने और उनकी राय में किसी मामले पर पर्याप्त चर्चा होने के बाद उसे बंद करने और बैठक को स्थगित करने की उसे पूरी शवितयाँ होंगी।

Voting at general or special meetings:

- (1) At any general or special meeting, a resolution put to the vote or the meeting shall, unless a poll is demanded under sub-regulation (2), be decided by a show of hands.
- (2) A declaration by the Chairman of a general or special meeting that a resolution has been carried or rejected thereat upon a show of hands by those shareholders who are entitled to vote shall be conclusive and on entry to that effect, in the books containing the minutes of the proceedings of the Corporation shall be sufficient evidence of that fact, without proof of the number or proportion of the vote cast in favor of or against such resolution:

Provided that before or on the declaration of the result of the voting, a poll may be ordered to be taken by the Chairman of the meeting of his own motion, and shall be ordered to be taken on a demand made in that behalf in writing by five persons present and entitled to vote at such meeting.

- (3) If a poll is to be taken it shall be taken forthwith either by open voting or by ballot as the Chairman of the meeting may direct, and the result of the poll shall be deemed to be the resolution of the meeting at which the poll was demanded.
- (4) At such poll a vote may be given by a shareholder entitled to vote either by a duly authorized representative or by proxy.
- (5) Subject to the provisions of section 34 the decision of the Chairman of the meeting as to the qualification of any person to vote, and also in the case of a poll as to the number of votes any person is entitled to exercise shall be final.

साधारण अथवा विशेष बैठक में मतदान

- (1) किसी साधारण या विशेष बैठक में मतदान के लिए रखे गए प्रस्ताव का निर्णय हाथ उठाकर किया जाएगा, जब तक उप विनियम (2) के अधीन मतदान की मांग नहीं की जाती ।
- (2) साधारण या विशेष बैठक के अध्यक्ष द्वारा यह घोषणा कि बैठक में मत देने के पात्र अंशधारियों द्वारा हाथ उठाकर किसी संकल्प को पारित अथवा रद्द कर दिया है, निर्णायक होगी और निगम की कार्यवाही के कार्यवृत्त वाली पुस्तिकाओं में ऐसे संकल्प के पक्ष अथवा विपक्ष में पड़े मतों की संख्या अथवा अनुपात का सबूत दिए बिना उस तथ्य के पर्याप्त साक्ष्य के संबंध में प्रविष्टि की जा सकेगी।

परन्तु मतदान के परिणाम से पूर्व अथवा परिणाम की घोषणा पर अध्यक्ष द्वारा स्वविवेक से मतदान करने के आदेश दिए जा सकते हैं अन्यथा मतदान करने के पात्र उपस्थित पांच अंशधारियों द्वारा इस संबंध में लिखित मांग करने पर मतदान का आदेश दिया जा सकेगा ।

- (3) यदि मतदान किया जाना है तो यह तुरन्त या तो खुले मतदान के रूप में अथवा मतपत्र द्वारा जैसा कि बैठक का अध्यक्ष निर्देश देगा, किया जाएगा । जिस संकल्प के लिए मतदान की मांग की गई थी उसके परिणाम को बैठक का संकल्प समझा जाएगा।
- (4) ऐसे मतदान में मत देने के पात्र अंशधारी विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि या प्रॉक्सी द्वारा मत दिया जाएगा ।
- (5) धारा 34 के प्रावधानों के अधीन किसी व्यक्ति को मत देने की पात्रता और एक व्यक्ति को कितने मत देने का अधिकार है इस संबंध में अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होगा।

SHAREHOLDERS ENTITLED TO VOTE AND THEIR VOTING RIGHTS:

- (1) Every shareholder who has been registered as a shareholder for a period of not less than three months prior to the date of any meeting of shareholders shall, at such meeting, be entitled to vote.
- (2) Every shareholder entitled to vote under sub-regulation (1) who is present by proxy or a duly authorized representative shall have one vote for each share held by him for the whole period of three months prior to the date of such meeting.

Provided that notwithstanding anything contained in these regulations, no shareholder shall exercise any voting right in respect of any shares registered in his name on which any calls or other sums payable by him at that time have not been paid, or in regard to which the Corporation has exercised right of lien.

X

X

X

X

REGULATION 30

Voting by government:

- (1) The Central Government may, by order in writing, authorize any of its officers to act as its representative at any meeting of the Corporation and the officer so authorized shall be entitled to exercise the same powers on behalf of the Central Government as if he was an individual shareholder of the Corporation and such officer shall not be deemed to be a proxy.
- (2) A copy of any order made under sub-regulation (1) shall be deposited at the Head Office of the Corporation before the time fixed for the meeting.
- (3) An order made under sub-regulation (1) may subsequently be revoked by the Central Government by depositing a notice of revocation at the Head office of the Corporation before the time fixed for the meeting and the due revocation of an order shall in no way prohibit the issue of another order by the Central Government and the deposit of a copy thereof at the Head Office of the Corporation under sub-regulation (2).

अंशधारियों की मत देने की पात्रता एवं मत देने के अधिकार

- (।) प्रत्येक अंशधारी, जो अंशधारियों की किसी बैठक की तारीख से कम से कम तीन माह की अवधि से पूर्व अंशधारी के रूप में पंजीकृत हो गया हो, ऐसी बैठक में मत देने का पात्र होगा।
- (2) उप विनियम (1) के अधीन मत देने के पात्र प्रत्येक अंशधारी का जो कि परोक्षी अथवा विभिन्न प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा उपस्थित हैं, ऐसी बैठक की तारीख से तीन महीने पूर्व की तारीख अवधि के लिए उनके द्वारा पारित अंश के लिए एक मत होगा।

परन्तु इन विनियमों में ऐसा प्रावधान होने पर भी कोई अंशधारी अपने नाम पंजीकृत किन्हीं अंशों के बारे में मत देने के अधिकार का प्रयोग नहीं कर सकेंगा, यदि उस समय तक उसने किन्हीं मांगों का देय राशियों का भुगतान न किया हो या जिसके बारे में निगम ने किसी ग्रहणाधिकार का प्रयोग किया हो।

विनियम 30

सरकार द्वारा मतदान

- (1) केन्द्र सरकार निगम की किसी बैठक में भाग लेने के लिए किसी भी अधिकारी को लिखित आदेश द्वारा प्राधिकृत कर सकती है और ऐसा प्राधिकृत अधिकारी केन्द्र सरकार की ओर से निगम के व्यक्तिगत अंशधारी की तरह अधिकारों का प्रयोग करने हेतु पात्र होगा, जिसे प्रॉक्सी नहीं माना जा सकेगा।
- (2) उपनियम (1) के अधीन दिये गये किसी आदेश की प्रतिलिपि बैठक के लिए निर्धारित समय से पूर्व निगम के मुख्यालय में जमा कराई जाएगी ।
- (3) उपनियम (1) के अधीन दिये गये आदेश को बाद में केन्द्र सरकार द्वारा बैठक के लिए निर्धारित समय से पूर्व निगम के मुख्यालय में प्रतिसंहरण सूचना को जमा कर प्रतिसंहरण किया जा सकता है और आदेश का यथोचित प्रतिसंहरण केन्द्र सरकार द्वारा अन्य आदेश जारी करने और उपनियम (2) के अधीन निगम के मुख्यालय में उसकी प्रतिलिप जमा कराने में किसी तरह की रोक नहीं लगायेगा।

VOTING BY DULY AUTHORIZED REPRESENTATIVE:

- (1) No shareholders, being a body corporate, shall vote by proxy so long as a resolution of its directors or other governing body, under sub-regulation (2) authorizing any of its officials or any other person to act as its duly authorized representative at any meeting is in force.
- (2) A body corporate (Whether a company within the meaning of the companies Act, 1956 (1 of 1956 or not) may be resolution of its Directors or other governing body authorize any of its officials or any other person to act as its representative at any general or special meeting of the Corporation and the person so authorized shall be entitled to exercise the same powers on behalf of the body corporate which he represents, as if he were an individual shareholder of the Corporation. The authorization so given may be in favour of two representatives in the alternative.

Explanation: For the purpose of this regulation and regulation 32 a body corporate shall include any institution qualified to be a shareholder of the Corporation under section 4.

- (3) No person shall attend or vote at any meeting of the Corporation as a duly authorized representative unless a copy of the resolution appointing him as a duly authorized representative certified to be a true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed or by the Presiding Officer of the Board of Directors, Managing Committee or governing body, as the case may be of the shareholder institution or by the Secretary or by the Manager thereof signed under the seal of his office shall have been deposited at the Head Office of the Corporation not less than four clear days before the date fixed for the meeting.
- (4) An appointment of a duly authorized representative shall after the deposit of a certified copy of the resolution as aforesaid, be irrevocable for the meeting for which it is made and shall supersede any authorization or proxy previously deposited for such shareholders.
- (5) No person who is an employee of the Corporation shall be appointed as a duly authorized representative or a proxy under this regulation.

विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा मत देना

- (।) निगमित निकाय से संबंधित होने पर कोई अंशधारी परोक्षी द्वारा मत नहीं देगा,
- जब तक उप विनिमय (2) के अधीन उसके निदेशकों या शाखा निकाय या किसी बैठक में विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने के लिए उसके किसी अधिकारी या अन्य व्यक्ति को प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने का संकल्प लागू रहता है।
- (2) निगमित निकाय (कम्पनी अधिनियम,1956 (1956 का 1 अथवा नहीं) के अर्थ में भले ही कम्पनी इत्यादि) अपने निदेशकों का अन्य शासी निकाय के प्रस्ताव द्वारा निगम की किसी साधारण या विशेष बैठक में अपने प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने के लिए अपने किसी अधिकारी या अन्य किसी व्यक्ति को प्राधिकृत कर सकता है और इस प्रकार अधिकृत व्यक्ति निगमित निकाय, जिसका वह एक प्रतिनिधि है,की ओर से उन अधिकारों के प्रयोग करने का हकदार होगा, मानो वह निगम का व्यक्तिगत अंशधारी हो । इस प्रकार दिया गया प्राधिकार विकल्प में दो प्रतिनिधियों के पक्ष में हो सकता है।

स्पष्टीकरण: इस विनियम और विनियम, 32 के प्रयोजन के लिए अधिनियम की धारा 4 के अधीन निगमित निकाय में ऐसी कोई संस्था जो कि निगम के अंशधारी होने की पात्र है, शामिल होगी ।

- (3) कोई भी व्यक्ति निगम की बैठकों में विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में तब तक भाग नहीं ले सकेगा या मतदान नहीं कर सकेगा जब तक उसे विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त करने वाले संकल्प की एक प्रति, जो उस बैठक के, जिसमें यह पारित किया गया था, अध्यक्ष द्वारा यथास्थिति शेयरधारी संस्था के निदेशक बोर्ड प्रबन्ध समिति या शासी निकाय के पीठासीन अधिकारी द्वारा या उसके सचिव या प्रबन्धक द्वारा सत्य प्रति के रूप में प्रमाणित हो, जिस पर उसके हस्ताक्षर और पद की मोहर होगी, बैठक के लिए नियत तारीख से कम से कम पूरे चार दिन पहले निगम के प्रधान कार्यालय में जमा न कर दी गई हो।
- (4) उपरोक्त प्रस्ताव की प्रमाणित प्रतिलिपि जमा कराने के बाद विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि की नियुक्ति जिस बैठक के लिए की जाती है, अप्रतिसंहरणीय होगी और ऐसे अंशधारियों के लिए पहले जमा कराए गए प्राधिकार या परोक्षी कम का अधिकमण हो जाएगा।
- (5) इस विनियम के अधीन कोई व्यक्ति जो निगम का कर्मचारी है, विधिवत प्राधिकृत या परोक्षी के रूप में नियुक्त नहीं किया जायेगा।

PROXIES:

- (1) No instrument of proxy shall be valid unless in the case of a body corporate it is executed under its common seal or signed by its attorney duly authorised in writing.
- (2) No proxy shall be valid unless it is made out specifically for the purpose of voting at the meeting at which it is to be used.
- (3) No proxy shall be valid unless it is duly stamped and unless it together with the power of attorney or other authority (if any) under which it is signed or a copy of the power of attorney or other authority certified by a notary public is deposited at the Head Office of the Corporation not less than four clear days before the date fixed for the meeting.
- (4) No instrument of proxy shall be valid unless it is dated and is in the form.
- (5) Subject to the provisions of sub-regulation(4) of regulation 31 an instrument of proxy deposited at the Head Office of the Corporation shall be irrevocable after the last day for the deposit of proxies unless on or before that day a notice in writing under the hand or common seal of the granter specifically stating the name of the person in whose favour the instrument was granted and that such instrument is revoked is reported at the Head Office of the Corporation or unless the same is deemed invalid under sub-regulation (6). In the case of an instrument of proxy granted in favour to two grantees in the alternative, it shall not be necessary to mention in a notice of revocation the name of the second or alternative grantee provided that the notice is otherwise sufficient to identify beyond doubt that instrument of proxy which it is intended to revoke.
- (6) If two or more instruments of proxy in respect of the same share are deposited and if on or before the last day for deposit of proxies all but one of such instrument of proxy are not duly revoked in accordance with the procedure prescribed in sub-regulation(5) all such instruments of proxy shall be deemed invalid.
- (7) The due revocation of an instrument of proxy shall in no way prohibit the deposit of another valid instrument of proxy within the time limit specified in sub-regulation(3).
- (8) Not withstanding anything contained in these regulations, the granter of an instrument of proxy which has become irrevocable under this regulation shall not be entitled to vote in person at the meeting or election to which such instrument relates.

परोक्षियाँ

- (1) कोई परोक्षी दस्तावेज तब तक विधिमान्य नहीं होगा, जब तक कि यह निगमित निकाय के मामले में उसकी सामान्य मोहर के अधीन निष्पादित न किया गया हो या लिखित में उसके विधिवत प्राधिकृत अटार्नी द्वारा हस्ताक्षरित न हो।
- (2) कोई परोक्षी विधिमान्य नहीं होगी, जब तक कि उसके बैठक में मत देने जिस बैठक में उसका प्रयोग किया जाना है, के प्रयोजन के लिए उसे विनिर्दिष्ट नहीं किया गया है।
- (3) कोई परोक्षी विधिमान्य नहीं होगी, जब तक कि उस पर विधिवत रूप से स्टाम्प न लगी हो और जब तक कि उसके साथ में मुख्तारनामा या अन्य प्राधिकारी (यदि कोई हो) जिससे उस पर हस्ताक्षर हैं या मुख्तारनामा नोटेरी पब्लिक द्वारा प्रमाणित अन्य प्राधिकारी की पावर आफ अटानीं की प्रति को बैठक के लिए निर्धारित तारीख से कम से कम चार दिन पूर्व निगम के प्रधान कार्यालय में जमा नहीं कराई गई हो।
- (4) किसी परोक्षी का कोई दस्तावेज तभी वैध होगा जब वह दिनांक्ति होगा और संलग्न प्रारूप में होगा ।
- (5) विनियम 31 के उप विनियम (4) के प्रावधानों के अधीन निगम के मुख्यालय में जमा करवाई गई परोक्षी जमा कराने की अंतिम तिथि के बाद अपरिवर्तनीय होगी, जब तक कि उस तारीख के पूर्व हस्तलेख से लिखित सूचना न दी गयी हो अथवा गारंटर द्वारा अपनी मोहर द्वारा सत्यापित कर विशेष रूप से उस व्यक्ति का नाम प्रपन्न में न लिखा गया हो, जिसके पक्ष में प्रपन्न प्रदान किया गया है तथा ऐसा प्रपन्न निगम के मुख्यालय को लिखित रूप में सूचित न किया गया हो अथवा उप विनियम(6) के अधीन अवैध नहीं समझा जाता हो । यदि दो अनुदानग्राहियों के नाम परोक्षी के प्रपन्न में दिये जाते हैं तो प्रतिसंहरण की सूचना में द्वितीय अथवा विकल्प अनुदानग्राही का उल्लेख करना आवश्यक नहीं होगा, बशर्त कि सूचना से निरसंदेह यह विदित हो कि परोक्षी लिखत प्रतिसंहरण के लिए है।
- (6) यदि उन्हीं अंशों के बारे में दो या अधिक परोक्षी के प्रपन्न जमा कराए जाते हैं और यदि परोक्षियों के जमा कराने के अंतिम दिन अथवा उससे पहले दिन परोक्षी के एक भी प्रपन्न का उप विनियम (5) में निहित कार्यविधि के अनुसार विधिवत प्रतिसंहरण नहीं होता है, तो ऐसे प्रपन्न अवैध माने जाएंगे।
- (7) परोक्षी प्रपन्न का विधिवत प्रतिसंहरण उप विनियम(3) में विनिर्दिष्ट समय सीमा में परोक्षी का दूसरा विधिवत प्रपन्न जमा कराने में कोई रोक नहीं लगाएगा।
- (8) इन विनियमों में कुछ दिए होने पर भी, परोक्षी प्रपन्न का अनुदाता, जो कि इस विनियम के अधीन अप्रतिसंहरणीय बन गया है, बैठक या चुनाव, जिससे कि प्रपन्न संबंधित है, में व्यक्तिगत रूप से मत देने का अधिकार नहीं होगा।

Act/3

केन्द्रीय भंडारण निगम

(भारत सरकार का उपक्रम)

62वीं वार्षिक साधारण बैठक 2024 (28 सितंबर, 2024 को सुबह 11.00 बजे)

कार्यक्रम				
1.	निदेशकों का परिचय एवं स्वागत भाषण	सचिव	11.00 बजे	
2.	अध्यक्ष महोदय का बुके से स्वागत	प्रबंध निदेशक	11.05 बजे	
3.	दीप प्रज्ज्वलन	अध्यक्ष एवं गणमान्य अतिथि	11.10 बजे	
4.	वर्ष 2023-24 के कार्य निष्पादन के मुख्य बिंदु	प्रबंध निदेशक	11.15 बजे	
5.	भंडारण भारती पत्रिका का विमोचन	अध्यक्ष	11.25 बजे	
6.	अंशधारियों को संबोधन	अध्यक्ष	11.35 बजे	
7.	कार्यसूची पर चर्चा	सचिव	11.45 बजे	
	(1) निगम के वित्त वर्ष 2023-24 के वित्तीय विवरणों को अपनाने और निदेशक मंडल की रिपोर्ट पर चर्चा			
	(2) वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए लाभांश की घोषणा			
	(3) वित्तीय वर्ष 2023-24 के दीपम दिशानिर्देशों के अनुपालन नोट के अनुमोदन हेतु चर्चा			
8.	अंशधारियों द्वारा उठाये गये उपरोक्त कार्य से संबंधित कोई बिंदु एवं उनके उत्तर	प्रबंध निदेशक	11.55 बजे	
9.	अध्यक्ष महोदय की अनुमति से कोई अन्य विषय	अंशधारी	12.10 बजे	
10.	धन्यवाद प्रस्ताव	निदेशक (कार्मिक)	12.20 बजे	

CENTRAL WAREHOUSING CORPORATION (A GOVT. OF INDIA UNDERTAKING)

62ND ANNUAL GENERAL MEETING, 2024 (28TH SEPTEMBER, 2024 At 1100 AM)

PROGRAMME				
1.	Introduction of the Directors and Welcome Address	Secretary	11.00 Hrs	
2.	Presenting Bouquet to Chairman	Managing Director	11.05 Hrs	
3.	Lighting of the Lamp	Chairman along with other Dignitaries	11.10 Hrs	
4.	Highlights of performance during 2023-24	Managing Director	11.15 Hrs	
5.	Release of Bhandaran Bharati	Chairman	11.25 Hrs	
6.	Address to the Shareholders	Chairman	11.35 Hrs	
7.	 Discussion on Agendas: (1) To Discuss and adopt Financial Statements of the Corporation & Director's Report for FY 2023-24. (2) Declaration of dividend for FY 2023-24. (3) Approval of compliance note on DIPAM Guidelines for FY 2023-24. 	Secretary	11.45 Hrs	
8.	Points, if any, raised by the shareholders related to above mentioned business and replies thereto	Managing Director	11.55 Hrs	
9.	Any other matter with the permission of the Chair	Shareholders	12.10 Hrs	
10.	Vote of Thanks	Director (Pers.)	12.20 Hrs	